**Seventeenth Loksabha**

an>

Title: Need to permit observance of Shirola Nag Panchami festival in Hatkanangle Parliamentary Constituency in Maharashtra

**श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे (हातकणंगले):** महोदय, शिराला तहसील मेरे हातकणंगले संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है । यह स्थान दुनिया भर में नाग पंचमी के त्यौहार और जिंदा सांपों के पूजन के लिए मशहूर है । श्रावण मास की पंचमी में शिराला गांव में जिंदा सांपों की पूजा करने की परंपरा महायोगी श्री शिव गोरखनाथ जी के काल 900 सदी से शुरू होकर 2002 तक अखंड रूप से चलती आ रही थी । परंतु भारतीय वन्यजीव अधिनियम, 1972 के लागू होने के बाद यह परंपरा बंद हो गई । वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 2 में उत्सव तथा मेले में वन्यजीवों को पकड़ना तथा उनके साथ दुर्व्यवहार करना और उनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई । वन्य जीव अधिनियम की धारा एक तथा दो की उपधारा 36 के अनुसूची क्रमांक से चार में सरपट रेंगने वाले प्राणियों का उल्लेख है । भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार संबंधी धारा 25 व 26 के अनुसार धारा 25 पसंदीदा धर्म, परंपरा, उपचार तथा प्रसार की अनुमति देती है । धारा 25 धार्मिक अनुष्ठान तथा कार्यों का पालन करने का अधिकार प्रदान करती है ।

शिराला का नाग पंचमी त्यौहार एक शताब्दी वर्ष पुराना है तथा मूल घटना से जुड़ा एक धार्मिक त्यौहार है, जो भारतीय नागरिक संहिता की धारा 25 **व** 26 के अंतर्गत भारतीय वन्यजीव अधिनियम, 1972 की धारा 11 **व** 12 के अनुसार शिराला में नाग पंचमी का त्यौहार मनाने की अनुमति देता है । सांप मानव बस्तियों में मिलने और रहने वाला एक प्राणी है । हमारे यहां सांपों को मानव तथा किसानों का मित्र समझा जाता है । हमारी धार्मिक श्रद्धा का विषय होने के नाते हम आपसे निवेदन करते हैं कि नाग-सांपों को वन्यजीव प्राणियों की सूची से

अलग किया जाये । माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में भारत सरकार ने 21 अगस्त, 2014 के दिन पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण का औचित्य जांचने के लिए सेवानिवृत कैबिनेट सचिव एस.आर. सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी । इस समिति ने 21 नवंबर, 2014 में 106 पृष्ठों की 55 सिफारिशों का आकलन किया । इसमें मुख्यतया बैलगाड़ी शर्त (प्रतियोगिता), नाग पंचमी में जिंदा नागों की पूजा का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अनुसार आने वाली समस्याओं का उल्लेख किया गया है । सुब्रमण्यम समिति ने भारतीय त्यौहारों तथा उत्सव के बारे में काफी विचार-विमर्श के बाद अपना विचार दिया है । इस त्यौहार में नाग-सांपों को क्षति पहुंचाना, उनका गलत इस्तेमाल करना तथा कोई भी अनुचित प्रथा शामिल नहीं की जाती, इसमें सिर्फ शिरोला में नाग देवता का पूजन होता है । शिरोला की नाग पंचमी भारतीय संस्कृति को एक अलग पहचान देने के कारण इसके संवर्धन की आवश्यकता है । इसलिए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि भारतीय संस्कृति तथा परंपरा का पोषण व संवर्धन करने वाली शिरोला नाग पंचमी को मनाने की अनुमति मिले । धन्यवाद ।